भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 2532

दिनांक 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन प्रचालन

2532. डॉ. उमेश जी.जाधव:
श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और अधिक ड्रोन प्रचालक तैयार करने तथा ड्रोन प्रचालन को एक कौशल के रूप में विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार वाणिज्यिक और प्रतिरक्षा प्रयोजनों हेतु ड्रोनों के प्रचालन संबंधी अल्पावधिक और दीर्घावधिक पाठ्यक्रमों को मान्यता देने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ड्रोन शक्ति के संबंध में कुशलता का प्रशिक्षण देने वाले विद्यमान पाठ्यक्रमों की संख्या व उक्त पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले कौशल केन्द्रों की संख्या राज्य-वार कितनी हे और इनमें प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितने पंजीयन हुए तथा इनमें राज्य-वार कितने व्यक्ति प्रशिक्षित हुए हैं; और
(घ) क्या सरकार का ड्रोन प्रचालन पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिहाज से इनमें नामांकित होने वाले लोगों तथा इनका प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों को वित्तीय या अन्य किसी प्रकार की सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ) रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (आरपीटीओ) की स्थापना के लिए मंजूरी ड्रोन नियमावली, 2021 के नियम 39 के अनुसार दी जाती है।

कोई भी व्यक्ति जो आरपीटीओ स्थापित करने के लिए प्राधिकरिता प्राप्त करने का इच्छुक है, वह नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के महानिदेशक को ऑनलाइन डिजीटलस्काई प्लेटफॉर्म पर आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदक विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है तो महानिदेशक, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर आरपीटीओ स्थापित करने के लिए प्राधिकार जारी कर सकता है।

डीजीसीए ने, डीजीसीए द्वारा अधिकृत आरपीटीओ द्वारा रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए, पांच दिवसीय पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट किया है। पाठ्यक्रम में ग्राउन्ड क्लासिस और व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल हैं। 10 मार्च 2022 तक, डीजीसीए द्वारा 16 आरपीटीओ को प्राधिकारिता दी गई है। इन आरपीटीओ की राज्य-वार सूची अनुबंध-1 में है। ड्रोन नियमावली, 2021 के तहत अब तक कोई रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है।

आज की तारीख में, भारत सरकार के अन्तर्गत ड्रोन प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की कोई योजना नहीं है।

अनुलग्नक-I

लोकसभा के दिनांक 17 मार्च, 2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2532 के उत्तर में उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रमांक	राज्य	स्वीकृत प्रशिक्षण संगठन का नाम
1	गुजरात	संस्कारधाम परिसर
2	हरियाणा	ड्रोन डेस्टिनेशन प्रा. लिमिटेड
3	हरियाणा	गणपति विमानन समाधान
4	हरियाणा	सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान
5	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडान अकादमी
6	झारखंड	अल्केमिस्ट एविएशन प्रा. लिमिटेड
7	कर्नाटक	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडान अकादमी
8	मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडान अकादमी, एमआईटीएस ग्वालियर
9	महाराष्ट्र	रेडबर्ड उड़ान प्रशिक्षण अकादमी प्रा. लिमिटेड
10	महाराष्ट्र	बॉम्बे फ्लाइंग क्लब
1 1	तेलंगाना	फ्लाईटेक एविएशन अकादमी
12	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य उड्डयन अकादमी
13	तमिलनाडु	सीएएसआर अन्ना विश्वविद्यालय
14	उत्तर प्रदेश	एम्बिशन फ्लाइंग क्लब प्रा. लिमिटेड
15	उत्तर प्रदेश	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडान अकादमी
16	उत्तर प्रदेश	पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा. लिमिटेड